राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 375/2010/अलवर
2. अपील संख्या 376/2010/अलवर
3. अपील संख्या 377/2010/अलवर
4. अपील संख्या 378/2010/अलवर
5. अपील संख्या 379/2010/अलवर
6. अपील संख्या 380/2010/अलवर

सहायक आयुक्त, विशेष वृत द्वितीय, भिवाडी अलवर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स. नाहर इण्डस्ट्रीयल एन्टरप्राईजेज यूनिट आफ अरहम स्पिनिंग मिल्स, भिवाडी। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ कैम्प जयपुर

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह, उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दि. 04.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को अपास्त रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलें स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किए। जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	अपी. अधि. की अ.सं.	अवधि	कुल मांग राशि
375/10	41/सीएसटी/08–09	2003–04	57,23,030
376/10	40/आरएसटी/08–09	2003–04	20,05,363
377/10	56/आरएसटी/07–08	2004–05	19,29,099
378/10	191/सीएसटी/08–09	2005–06	18,43,641+16,09,956
379/10	190/आरएसटी/08–09	2005–06	6,19,400
380/10	57/सीएसटी/07–08	2004–05	63,14,862+11,32,158+3,43,704+18,18,382

लगातार.....2

2. प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी को 1989 की बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत विस्तारित क्षमता से उत्पादित माल की अर्न्तराज्यीय बिक्री पर देय कर का 75 प्रतिशत तक कर व सरचार्ज का करमुक्ति लाभ स्वीकृत किया गया। किन्तु व्यवहारी द्वारा मूल इकाई से उत्पादित माल से की गई अर्न्तराज्यीय बिक्री पर स्कीम के तहत कर मुक्ति लाभ इस आधार पर अस्वीकृत किया गया, कि उसे विस्तारित क्षमता के उत्पादित माल की बिक्री पर ही कर मुक्ति का लाभ देय है, न कि मूल इकाई द्वारा उत्पादित माल पर। इस प्रकार उत्पादित माल पर 1.50 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति लाभ स्वीकृत नहीं किये जाने को विवादित किया गया। व्यवहारी को देय प्रवेश कर के सेटआफ को इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया कि उनके द्वारा सेटआफ के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रोत्साहन योजना के तहत कर मुक्ति लाभ लेने के कारण व्यवहारी को योजना के क्लॉज 4(सी) के तहत सेटआफ देय नहीं माना एवं इस आधार पर धारा 58 के तहत ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई। उक्त पारित आदेशों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश किए जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.08.2009 से अपीलें स्वीकारते हुए प्रतिप्रेषित की, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों में अपने आदेश दिनांक 04.08.2009 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है, वो उचित एंव विधिक नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 04.08.2009 को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 29.08.2011 पारित कर दिया है, जिससे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स अपडेट 59 के अनुसार वर्तमान. में लम्बित यह अपीलें निष्प्रभावी हो जाती है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

8. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों से संबंधित प्रस्तुत अपीलों को अपने आदेश दिनांक 04.08.2009 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निष्पादन अपने आदेश दिनांक

लगातार.....3

29.08.2011 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है :–

"In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

9. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक 29.08.2011 को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" हो गयी है ।

10. परिणामतः प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

11. निर्णय प्रसारित किया गया ।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य